कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर

Office of the
General Manager/P
N.E.Railway,
Gorakhpur

सं0 का / 254 / 12 / 5 / हि0नि0कल्याणनिरी0 / VIII / भाग–II

दिनांक 15.04.2019

सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी अतिरिक्त इकाई / सभी उत्पादन इकाई
उपमुख्य विद्युत इंजीनियर / रेल विद्युतीकरण,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

विषयः– कार्मिक विभाग मुख्यालय इकाई में 35 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल–6 ग्रेड पे 4200 में पद हेतु चयन।

कार्मिक विभाग मुख्यालय इकाई में 35 प्रतिशत जनरल सलेक्शन कोटा के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल–6 (ग्रेड पे 4200) के ***01 सामान्य पद*** हेतु चयन कराने का निर्णय लिया गया है।

1. उपर्युक्त चयन की नामिका रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 ई(एनजी) I–2002 / पीएम–4 / 1 दिनांक 12.07.2002 में निहित निर्देशो के अनुसार कर्मचारी आवेदन कर सकते है, जो मुख्यतः निम्नवत् है :–

__पात्रता का मापदण्ड__

(i) कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल–6 (ग्रेड पे 4200) की पात्रता हेतु निम्नलिखित योग्यता रखने वाले ग्रुप–सी के कर्मचारी भले ही उनका ग्रेड, सेवा काल या अन्य योग्यता कुछ भी हो।
   a) श्रम कल्याण / सामाजिक कल्याण में डिप्लोमा
   b) श्रम कानून में डिप्लोमा।
   c) श्रम कानून के पेपर / पेपरो सहित विधि स्नातक
   d) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कार्मिक प्रबन्धन में दिया गया स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और।
   e) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कार्मिक प्रबन्धन के पेपर / पेपरो सहित एमबीए।

बशर्ते कि लेवल–6 और इससे ऊपर के लेवेल में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी उपर्युक्त चयन में भाग लेने के लिए पात्र नही होगे।

इसके आलावा शर्त यह है कि उपर्युक्त योग्यताए रखने वाले कर्मचारियो की पात्रता भी इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उन्होने संबंधित ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ii) लेवल–1 (ग्रेड पे 1800) के भी कर्मचारी जिन्होने लेवल–1 में कम से कम 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित कोई योग्यता रखते हो।

(iii) कर्मचारी कल्याण निरीक्षक ग्रेड से निचले ग्रेड में अर्थात लेवल–5 (ग्रेडपे–2800 / 4500–7000) और लेवल–4 (ग्रेडपे–2400 / 4000–6000) के ग्रेडो में 05 वर्ष की सेवा वाले वे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति की सामान्य सीमा मे उच्चतर ग्रेड नहीं आता है, अन्यथा इन दोनो ग्रेडो को मिलाकर 05 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी।

Scanned by CamScanner

(iv) लेवल–5 (ग्रेडपे–2800/4500–7000) और लेवल–4 (ग्रेडपे–2400/4000–6000) के ग्रेडो वाले वे कर्मचारी जो स्नातक है, भले ही इन ग्रेडो में उनका सेवा काल कितना भी हो बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी अपने संबंधित ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लिया हो।

(v) वे कर्मचारी जो कर्मचारी कल्याण निरीक्षक ग्रेड से नीचले ग्रेड अर्थात लेवल–3 (ग्रेडपे–2000/3200–4900) और लेवल–2 (ग्रेडपे–1900/3050–4590) के ग्रेड में कार्यरत वे कर्मचारी जो स्नातक है और जिन्होने अपने संबंधित ग्रेड में 07 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो यदि उच्चतर ग्रेड, उनकी पदोन्नति की सामान्य सीमा में नहीं आता है अन्यथा इन दोनो ग्रेडो को मिलाकर 07 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी।

(vi) जिनकी पदोन्नति की सामान्य सीमा मे उच्चतर ग्रेड नहीं आता है, अन्यथा इन दोनो ग्रेडो को मिलाककर 05 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी।

2. उपर्युक्त चयन में गोरखपुर मुख्यालय में नियमित रूप से कार्यरत (लेखा और आरपीएफ को छोडकर) कर्मचारी सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते है।

3. पात्र कर्मचारी दिनांक 06.05.19 तक अपने नियंत्रक अधिकारी को निर्धारित फार्म (जिसका प्रारूप सलग्न है) पर आवेदन कर सकते है। नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में इंगित विवरण को उपलब्ध अभिलेखो से जॉच कर उसकी पुष्टि करते हुए इस कार्यालय को दिनांक 08.05.19 तक सभी आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता के प्रमाण पत्र/पत्रो की सत्यापित छाया प्रति अवश्य सलग्न करे अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. पात्र कर्मचारियों में उपर्युक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा पत्र की एक प्रति सूचना पट्ट पर चस्पा करा दिया जाय। आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों इस अधिसूचना को परीक्षा की तैयारी की सूचना भी समझे। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम संलग्न है।

6. RBE No. 196/2018 एवं महाप्रबंधक/कार्मिक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के पत्र संख्या का/254/चयन/प्रश्न बैंक/निर्देश/चार/80 दिनांक 20.03.2019 की छायाप्रतियां संलग्न हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो 90 मिनट समयावधि का होगा। गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से एक–तिहाई अंकों की कटौती कर ली जाएगी।

7. उपरोक्त चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी।

संलग्नक/1. आवेदन का प्रारूप
2. परीक्षा का पाठ्यकम।

(गोपाल प्रसाद गुप्ता)
सकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

1. सकाधि/मुख्यालय–।। कृपया पूर्वोत्तर रेलवे के वेवसाईट पर अपलोड कराये।
2. सभी मुकार्याधी/प्रमुकाधि कार्यालय/गोरखपुर।
3. गोपनीय अनुभाग/हिन्दी अनुभाग, प्रमुकाधि कार्यालय/गोरखपुर।

3.4.15

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Scanned by CamScanner

आवेदन का प्रारूप

35 प्रतिषत कोटे के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक (पीबी-2, 9300--34800 ग्रेड पे 4200) लेवल-6 के लिए आवेदन पत्र का प्रोफार्मा।

1.	नाम	:	
2.	पदनाम	:	
3.	तैनाती का कार्यालय / स्टेशन	:	
4.	जन्मतिथि	:	
5.	शैक्षिक योग्यता (सत्यापित प्रति संलग्न करें)	:	
6.	नियुक्ति तिथि	:	
7.	हैसियत (तदर्थ / मूल / स्थानापन्न जो भी हो इंगित करें)	:	
8.	मूल पद (वेतन बैण्ड + ग्रेड पे) लेवल	:	
9.	पदोन्नति की तिथि	:	
10.	स्थानापन्न पद 1. (वेतन बैण्ड + ग्रेड पे) लेवल 2. पदोन्नति तिथि 3. नियमित / तदर्थ जो भी हो कृपया इंगित करें। 4. अजा / अजजा (यदि हो तो इंगित करें) 5. पी.एफ.नं./NPS/PRAN NO .	:	

संलग्न शैक्षिक योग्यता

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विवरण इस कार्यालय के उपलब्ध अभिलेखों से जांच कर ली गई है जो सही है।

पदनाम
अधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर)

Scanned by CamScanner

35 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कर्मचारी [illegible]
9300–34800 + 4200 ग्रेड पे के लिये पाठ्यक्रम

1. कर्मचारी कल्याण निधि इसका संगठन, उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली।
2. स्टेशन एवं क्षेत्रीय कौंसिल का गठन उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली।
3. ग्रान्ट आफ चिल्ड्रन एजुकेशनल एलाउन्स एवं [illegible] आफ ट्यूशन फीस।
4. इन्स्टीच्यूट का प्रबन्धक एवं कार्य प्रणाली।
5. कर्मचारी आवासों के आवंटन सम्बन्धी नीति तथा किरायों की वेतन बिल से इसकी वसूली
6. सहकारी समिति, कार्य प्रणाली एवं सीसीएस ऋण की वसूली।
7. विभिन्न प्रकार के अग्रिम की वापस अदायगी।
8. अग्नि कांड से क्षति संबंधी रिपोर्ट एवं उपचार कार्यवाही।
9. भविष्य निधि अधिनियम 1925 भविष्य निधि नियम एवं कर्मचारियों के न्यू पेंशन स्कीम।
10. खेल कूद, स्काउटिंग, कला सोसायटी व बाल कैम्प।
11. पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट।
12. फैक्ट्री अधिनियम तथा इसके अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम।
13. वर्कमैन काम्पनशेसन एक्ट।
14. इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट।
15. मिनिमम वेजेज एक्ट।
16. स्थायी वर्ता तंत्र ट्रेड यूनियन अधिनियम।
17. एचओईआर।
18. ओवर टाईम।
19. रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966।
20. अनुशासन एवं अपील नियम।
21. चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार कर्मचारियों का संविलयन इत्यादि।
22. कल्याण–कार्य कार्यक्रम एवं परामर्शदाता समिति।
23. सुझाव एवं आविष्कार समिति।
24. सामाजिक एवं औद्योगिक मनोविज्ञान।
25. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान।
26. बाढ़, अग्निकाण्ड इत्यादि जैसे विशेष घटनाओं सम्बन्धी रिपोर्ट करना।
27. भारतीय रेलों का इतिहास एवं पूर्वोत्तर रेलवे का संगठन।
28. नोटिंग/ड्राफ्टिंग।
29. सामान्य ज्ञान।

Scanned by CamScanner

1580

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय,
महाप्रबन्धक / कार्मिक,
गोरखपुर–273012
दिनांक–20.02.2019

सं0 का / 254 / चयन / प्रश्न बैंक / निर्देश / चार / 80

सचिव / महाप्रबन्धक,
सचिव / अपर महाप्रबन्धक,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक एवं
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः– पदोन्नति परीक्षाओं को सरल बनाने एवं शीघ्र निपटारे हेतु 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरूआत ।

संदर्भ–1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)I / 2018 / पीएम–1 / 4, दिनांक 14.12.2018 (RBE-196/2018).

2. मरेप्र(कार्मिक),लखनऊ का पत्र सं0ई / III / पालिसी / प्रगति अनुभाग / 2019 दिनांक 22.01.2019.

उपरोक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 14.12.2018 के आलोक में प्रथम संदर्भ के सम्बन्ध में प्रमुकाधि महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किया गया है–

1. वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पीय प्रश्नों का स्तर चयन पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसायिक कुशलता के अनुसार रखा जाए।

2. सभी विभागों के प्रत्येक अधिकारी को प्रत्येक पद हेतु 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

3. प्रत्येक विभाग के शाखा अधिकारी / विभागाध्यक्ष / इकाईयों में स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारी के गोपनीय सचिव के पास इस प्रश्न बैंक की Soft एवं Hard Copy रखी जाए।

4. जब तक प्रश्न बैंक नहीं बन जाता तब तक वर्तमान प्रचलन की भाँति चयन कमेटी के सदस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर परीक्षाओं को निस्तारित कराते रहेंगे।

5. बोर्ड के पत्र दिनांक 14.12.2018 के पैरा–2 (V) में उल्लिखित ओएमआर सीट का सभी कार्यालयों में प्रयोग / उपयोग को देखते हुए इसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रमुख मुख्य भण्डार नियंत्रक महोदय के अधीन भण्डार विभाग को देने एवं इसे स्टाक आइटम में शामिल [illegible] गया है।

6. जब तक निर्धारित ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 14.12.2018 के पैरा–2 (IV) के अनुसार ओएमआर सीट के बदले पन आर पेपर / उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा करायी जाए (उत्तर पुस्तिका का प्रारूप संलग्न है)।

7. परीक्षा में 100 प्रश्न एवं समय 90 मिनट रखा जाए।

8. रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र में दिये गये अन्य दिशा निर्देश यथावत् रहेंगे।

संलग्नक–यथोपरि.

सकाधि / मुकाधि
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1. महामंत्री / एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर।
2. महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूउरे / गोरखपुर।
3. महामंत्री / रेसुब एशोसियेशन / पूउरे / गोरखपुर।
4. पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर।
5. महामंत्री / एससी / एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन / गोरखपुर।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

Scanned by CamScanner

North Eastern Railway/ पूर्वोत्तर रेलवे

Code Number कोड संख्या	**Answer Sheet/उत्तर पुस्तिका**

Please put '0' (circle) marks over right answer given infront of questions. Cutting, overwriting erasing or alteration of any type in the answer will not be accepted. Zero marks will be given for answer having correction/ overwriting. One third marks will be deducted for every wrong answers.

प्रश्नों के सामने दिए गए उत्तर में से किसी एक सही उत्तर पर '0' (circle) का निशान लगायें। एक बार '0' (circle) का निशान लगाने के पश्चात उसे बदलने की अनुमति नहीं है। सुधार या ओवर-राइटिंग या एक से अधिक उत्तर पर निशान लगाने से उस उत्तर हेतु शून्य अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर हेतु 1/3 अंक काटे जायेंगे।

Correct method of putting '0' (circle) marks over right answer / सही उत्तर पर '0' (circle) निशान लगाने का सही तरीका: A (B) C D

Q.No.	Answer				Q.No.	Answer				Q.No.	Answer			
1	A	B	C	D	35	A	B	C	D	69	A	B	C	D
2	A	B	C	D	36	A	B	C	D	70	A	B	C	D
3	A	B	C	D	37	A	B	C	D	71	A	B	C	D
4	A	B	C	D	38	A	B	C	D	72	A	B	C	D
5	A	B	C	D	39	A	B	C	D	73	A	B	C	D
6	A	B	C	D	40	A	B	C	D	74	A	B	C	D
7	A	B	C	D	41	A	B	C	D	75	A	B	C	D
8	A	B	C	D	42	A	B	C	D	76	A	B	C	D
9	A	B	C	D	43	A	B	C	D	77	A	B	C	D
10	A	B	C	D	44	A	B	C	D	78	A	B	C	D
11	A	B	C	D	45	A	B	C	D	79	A	B	C	D
12	A	B	C	D	46	A	B	C	D	80	A	B	C	D
13	A	B	C	D	47	A	B	C	D	81	A	B	C	D
14	A	B	C	D	48	A	B	C	D	82	A	B	C	D
15	A	B	C	D	49	A	B	C	D	83	A	B	C	D
16	A	B	C	D	50	A	B	C	D	84	A	B	C	D
17	A	B	C	D	51	A	B	C	D	85	A	B	C	D
18	A	B	C	D	52	A	B	C	D	86	A	B	C	D
19	A	B	C	D	53	A	B	C	D	87	A	B	C	D
20	A	B	C	D	54	A	B	C	D	88	A	B	C	D
21	A	B	C	D	55	A	B	C	D	89	A	B	C	D
22	A	B	C	D	56	A	B	C	D	90	A	B	C	D
23	A	B	C	D	57	A	B	C	D	91	A	B	C	D
24	A	B	C	D	58	A	B	C	D	92	A	B	C	D
25	A	B	C	D	59	A	B	C	D	93	A	B	C	D
26	A	B	C	D	60	A	B	C	D	94	A	B	C	D
27	A	B	C	D	61	A	B	C	D	95	A	B	C	D
28	A	B	C	D	62	A	B	C	D	96	A	B	C	D
29	A	B	C	D	63	A	B	C	D	97	A	B	C	D
30	A	B	C	D	64	A	B	C	D	98	A	B	C	D
31	A	B	C	D	65	A	B	C	D	99	A	B	C	D
32	A	B	C	D	66	A	B	C	D	100	A	B	C	D
33	A	B	C	D	67	A	B	C	D					
34	A	B	C	D	68	A	B	C	D					

No. of questions attempted (in digit & words) ....

हल किये गए प्रश्नों की संख्या (अंकों एवं शब्दों में)..

Scanned by CamScanner

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA** RBE 196
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD)**

No. E(NG)I/2018/PM 1/4 New Delhi, Date: 14.12.2018

The General Managers
All Zonal Railways & PUs
(As per Standard list)

Sub: Introduction of 100% – Objective Paper for promotional examination to expedite and simplify examination process.

The promotion of staff within Group 'C' by "Selection" or "non-selection" process and Group 'D' to 'C' is regulated by provision contained in Section 'B' of Chapter-II of Indian Railway Establishment Manual Volume I; and instructions contained in Board's letter No.E(NG)I/98/PM 1/17 dated 20.10.1999 and other instructions issued from time to time.

2. The existing system of examination conducted for filling up promotional posts has been reviewed by the Board and to bring objectivity to the selection process it has been decided as under:-

(i) The question paper will henceforth be 100% Objective Type;
(ii) All the questions will be of multiple choice only;
(iii) A large Question Bank may be created from which the questions can be selected randomly for conducting a Computer Based Test;
(iv) Railways may conduct examination in CBT mode or pen and paper depending on their preparedness;
(v) If computer based Test takes time to implement, the tests may be conducted on OMR sheets, which shall have a carbon copy, kept in safe custody of officer nominated by the authority nominating the Selection Committee at HQ/Division/PU/Workshop;
(vi) OMR can be evaluated manually. A model Answer Sheet shall be given by the paper setter in a separate cover on conclusion of the examination;
(vii) To ensure the authenticity of the answers, cutting, overwriting, erasing or alteration of any type in the answer will not be accepted. Zero marks will be given for Answer having correction/over writing;
(viii) There shall be negative marking for incorrect Answers. One third of the marks allotted for each question will be deducted for wrong Answers;
(ix) Responsibility for evaluation shall be with the Officer nominated for evaluation;
(x) The system of coding & decoding of answer sheets will continue;

...2/-

Scanned by CamScanner

GWJ

(xi) Any selection which has already been notified will be conducted as per the existing instructions only and the new instructions would apply for those selections which are notified after the date of issue of these instructions;

3. The above changes would be applicable to all Departments, except Accounts and RPF, who deal with their own establishments.

Please acknowledge receipt.

(D. Joseph)
Jt. Director/Estt.(N)
Railway Board

No. E(NG)I/2018/PM 1/4 New Delhi, Date: .12.2018

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No:256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Secretary Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
13. Adviser (Safety), Railway Board, New Delhi.
14. The Director General & Ex Officio General Manager, RDSO, Lucknow.
15. The Manager/HRD, RLDA, Near Safdarjung Railway Station, Motibagh-1, New Delhi-110021.
16. DFCCIL, 5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Complex, New Delhi-110001.
17. Office of Chief Administrative Officer, Indian Railways(Workshop Projects), Chamber Bhawan, Judge's Court Road, Anta Ghat, Patna-800001, Bihar.

...3/-

Scanned by CamScanner